मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल-462 004

क्रमांक एफ. ए. 6-1/95/एक (1) भोपाल, दिनांक 16 फरवरी, 1995

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
भोपाल.

विषय.—आयोग के परामर्श के लिये प्राप्त होने वाले विभागीय जांच/अपील/अनुशासनिक कार्यवाही या पुनर्नियुक्ति प्रकरणों के संबंध में.

लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश द्वारा शासन को अवगत कराया गया है कि आयोग के परामर्श के लिये प्राप्त होने वाले विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्रवाई/अपील पुनर्विलोकन प्रकरणों के साथ भेजे जाने वाले समस्त अभिलेख और विवरण दस्तावेज पहले से ही निर्धारित है, किन्तु प्राय: यह देखा गया है कि किसी भी प्रकरण में मामले की विषय वस्तु के संबंध में शासन के आरोप वार निष्कर्ष अंकित नहीं रहते. इसके अलावा जहां शासन, विभागीय जांच अधिकारी के निष्कर्षों से असहमत हो अथवा कुछ भिन्न निष्कर्षों पर पहुंचा हो, वहां कई बार असहमति/भिन्न निष्कर्षों के आधार भी स्पष्टतया कवरिंग लेटर में या यदि कोई टीप संलग्न है तो उसमें नहीं बताये जाते.

2. अत: आयोग द्वारा चाहा गया है कि भविष्य में विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्रवाई/अपील या पुनर्विलोकन आदि के जो भी मामले आयोग के परामर्श के लिये भेजे जाये तो कवरिंग लेटर के साथ निम्नलिखित प्रपत्र में एक विवरण पत्रक भी अनिवार्यत: भेजा जावे :—

(अ) विभागीय जांच/अनुशासनिक कार्रवाईयों के मामलों में —

अनुशासनिक कार्रवाई विरुद्ध श्री .... (नाम) .... (पदनाम) में दण्ड के प्रस्ताव संबंधी प्रकरण में लोक सेवा आयोग की राय का मामला.

सरल क्रमांक	आरोप क्रमांक	आरोप	विभागीय जांच अधिकारी का निष्कर्ष	शासन का निष्कर्ष तथा विश्लेषण	रिमार्क
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

(ब) अपील/पुनर्विलोकन प्रकरणों के मामलों में —

सरल क्रमांक	मूल मामले में आयोग के परामर्श का दिनांक	आयोग की राय	दिया गया दण्ड	अपील/पुनर्विचार में उठाये गये मुद्दे	उठाये गये मुद्दों पर शासन की कंडिकावार तथ्यात्मक टीप	अन्य विशेष विवरण
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

3. जिन प्रकरणों में किसी कारण से मूल अभिलेख नहीं भेजे जा सकते उनमें जो प्रतिलिपियां भेजी जायें वे किसी अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिये क्योंकि प्राय: यह देखा जाता है कि विभाग बिना सत्यापित किये फोटो प्रतियां भेज देते हैं.

4. अत: कृपया उक्त निर्देश आप अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों/कार्यालयों के ध्यान में लाकर इन निर्देशों के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(डी. के. वैरागी)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.